

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 410 सन 2022

अनवान :-

1. पुनीत बुडानिया पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी वार्ड संख्या 01 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. दर्शनादेवी पत्नी शेरसिंह जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील रावतसर ।
2. सावत्री उर्फ सानवी पुत्री शेरसिंह जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 10/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता संख्या 61/56 की कुल 0.8880हैक व रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 170/166 की कुल 1.7710हैक एव रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 88/81 की कुल 14.5560हैक भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 अन्य काश्तकारों के साथ मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता शेरसिंह पुत्र नत्थुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हुई अर्थात वाद भूमि वादी के पिता शेरसिंह पुत्र नत्थुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता है एव शेरसिंह पुत्र नत्थुराम की पत्नी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो वादी की माता/बहन है के नाम से दर्ज भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 , 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है वह वादी के पिता शेरसिंह पुत्र नत्थुराम के देहान्त होने पर विरास्तन से दर्ज हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता संख्या 61/56 की कुल 0.8880हैक व रोही



उपखण्ड अधिकारी

मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 170/166 की कुल 1.7710हैक् एव रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 88/81 की कुल 14.5560हैक् भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1,2 अन्य काश्तकारो के साथ मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता शेरसिंह पुत्र नत्थुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1,2 के नाम से दर्ज हुई अर्थात वाद भूमि वादी के पिता शेरसिंह पुत्र नत्थुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता है एव शेरसिंह पुत्र नत्थुराम की पत्नी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1,2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। तथा वादी का निवास स्थान वर्तमान में नोहर है वादी का निवास स्थान भी लालपूरा के स्थान पर नोहर वार्ड संख्या 1 संशोधन फरमावे।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता संख्या 61/56 की कुल 0.8880हैक् व रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 170/166 की कुल 1.7710हैक् एव रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 88/81 की कुल 14.5560हैक् भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1,2 अन्य काश्तकारो के साथ मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता संख्या 61/56 की कुल 0.8880हैक् व रोही मौजा 1एनएचआर ए के खाता संख्या 170/166 की कुल 1.7710हैक् व रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 88/81 की कुल 14.5560हैक् तीनों खातों में प्रतिवादी संख्या 1,2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष खातेदार का हिस्सा यथावत रहेगा तथा वादी का निवास स्थान लालपूरा के स्थान पर कस्बा नोहर वार्ड संख्या 1 संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक/01/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. पुनीत बुडानिया पुत्र शेरसिह जाति जाट निवासी वार्ड संख्या 01 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1. दर्शनादेवी पत्नी शेरसिह जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील रावतसर ।
2. सावत्री उर्फ सानवी पुत्री शेरसिह जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील नोहर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 410 सन 2022 निर्णय दिनांक- 10/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता संख्या 61/56 की कुल 0.8880 हैक व रोही मौजा 1एनएचआर ए के खाता संख्या 170/166 की कुल 1.7710 हैक व रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 88/81 की कुल 14.5560 हैक तीनों खातों में प्रतिवादी संख्या 1, 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष खातेदार का हिस्सा यथावत रहेगा तथा वादी का निवास स्थान ललापुरा के स्थान पर कस्बा नोहर वार्ड संख्या 1 संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से-जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर